न्यायालय भू - प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

मुख्य कार्यकारी एवं तबंधक झालावाड़ बनाम अनिल कुमार

किस्म मुकद्दमा धारा 225 मि० नं० 145/2018 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री ईश्वरचंद, श्री सी०पी० खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री अजय श्रृंगी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20-11-2020	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर / रेस्पो की तलबी करायी जाकर यह पत्रावली दिनांक 18-12-2020 को पेश हो। (महेन्द्र लोढ़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०) पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ———— उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर / रेस्पो की तलबी करायी जाकर यह पत्रावली दिनांक ———— को पेश हो।	
18-12-2020	पत्रावली पेश हुई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-06-2018 प्रा० पत्र धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल्स 11 व धारा 151 CPC दिनांक 14-06-2019 स्वीकार करते हुये मूलवाद दिनांक 08-08-2019 को खारिज कर दिया गया है। इस आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील अनिल कुमार V/S राजेश कुमार अपील सं. 110/2019 पेश की जा चुकी है। जिसमें आज तारीख पेशी दिनांक 18-12-2020 नियत है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निर्णय के विरुद्ध अपील पेश हो जाने से उक्त अपील में आगामी कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उक्त आधार पर अपील खारिज Infructuous (निष्फल) की जाती है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (महेन्द्र लोढ़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०)	खारिज

3-12-18

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय,
कोटा

संख्या /2018

मुख्य कार्यकारी एवं प्रबन्धक झालावाड नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भवानीमण्डी द्वारा महेशचन्द आत्मज फूलचन्द शर्मा निवासी भवानीमण्डी
– अपीलान्ट

बनाम

1– अनिलकुमार आत्मज महेशकुमार जाति प्रजापति निवासी अस्पताल चौराहा तह. पचपहाड जिला झालावाड

2– राजेशकुमार आत्मज रामरतन गुप्ता जाति महाजन निवासी करावन हाल मुकाम पेट्रोल पम्प के सामने, भवानीमण्डी तह. पचपहाड जिला झालावाड

3– तहसीलदार महोदय तहसील पचपहाड – रेस्पोन्डेन्टस

अपील विरूद्ध आलोच्य आदेश उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी जो उन्होनें दिनांक 8.6.2018 को मु. प्रकरण संख्या 55/2011 में पारित किया। अन्तर्गत धारा 225 R.T.Act

मान्यवर,

उक्त प्रकरण में निम्न तथ्य प्रस्तुत हैः–

यहकि वादी अनिलकुमार ने एक नियमित वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा आदि का अपीलांट बैंक एवं अन्य के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, भवानीमण्डी के यहां पेश किया था जो प्रकरण संख्या 129/11 है तथा जिसमें कार्यवाही विचाराधीन है एवं आगामी पेशी 3.10.2018 नियत है। इसी वाद पत्र के साथ वादी ने धारा 212 आर टी एक्ट के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलांट बैंक द्वारा धारा 158 सहकारी अधिनियम एवं आर्डर 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र वाद पोषनीय न होने से खारिज करने की प्रार्थना की गई थी, जिसके निराकरण के लिए प्रकरण बहस आदि में चल रहा था तथा अपीलांट के इस प्रार्थना पत्र का उत्तर रेस्पोन्डेन्ट अनिलकुमार द्वारा आज तक पेश नही किया गया व इस प्रार्थना पत्र की बहस में प्रकरण में विभिन्न तारीखे नियत होती रही तथा इसकी बहस कई बार सुनी भी गई। अन्ततः प्रकरण राजस्व लोक अदालत केम्प में रखे जाने हेतु 19.5.2016 को आदेश दिया गया व 29.6.2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत केम्प गुराडिया जोगा में पेश हुआ जहां स्पष्ट उल्लेख किया गया कि फरिकेन के मध्य आपसी सहमति नही हुई राजीनामा होने की कोई संभावना नही बताई गई अतः दिनांक 1.7.2016 को केम्प सूलिया पर पेश करने का आदेश दिया गया। उसके बाद 1.7.2016 को इस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई व आदेश हेतु 15.7.2016 नियत की गई। तत्पश्चात प्रकरण भवानीमण्डी में निांक 15.7.2016 को पेश हुआ व उसके बाद निर्णय हेतु दिनांक 31.8.2016, 8.9.16, 14.9.16, 19.9.16 नियत की गई व दिनांक 19.9.16 को पुनः बहस हेतु 22.9.2016 नियत की गई व इसके पश्चात दिनांक 26.9.16, 3.10.16, 18.10.16, 25.10.16, 8.11.16, 22.11.16, 5.12.16, 13.12.16, 21.12.16, 11.1.17, 25.1.17, 8.2.17, 22.2.17, 9.3.17, 27.3.17, 12.4.17, 26.4.17, 24.5.17 नियत की गई। 24.5.17 को केम्प गुराडिया जोगा में भी आदेशिका में उल्लेख किया गया

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
... नागरिक सहकारी बैंक लि॰
भवा...